# न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा

विविध वाद सं0 09/2018—19

महफूज मियां,
पिता— अब्दुल जलील
साकिन— असनाबाद
जिला— कोडरमा

03-05-2018 मो0 महफूज, पिता— अब्दुल जलील, साकिन— असनाबाद, वार्ड नं0— 06, पोस्ट— करमा, थाना— मरकच्चो, जिला— कोडरमा के द्वारा आवेदन दिया गया है कि उनकी भूमि; मौजा— असना, खाता सं0— 39/127, प्लॉट नं0— 1274, रकबा— 34 डी0 भूमि की जमाबंदी पंजी II के पृष्ट सं0— 71/VI पर उनके परदादा दुखन मियां के नाम से जमाबंदी से चल रही थी। उक्त पंजी II का पृष्ट सं0— 71/VI क्षतिग्रस्त होने के कारण उनकी भूमि का अब मालगुजारी रसीद निर्गत नहीं हो रहा है।

आवेदक के द्वारा हुकुमनामा तथा मालगुजारी रसीद सं0— 0007402 वर्ष 2006—07 की छायाप्रति अपने आवेदन के साथ संलग्न करते हुए अपनी भूमि की ऑनलाइन जमाबंदी कायम कर मालगुजारी रसीद निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

उक्त आवेदन के आलोक में राजस्व कर्मचारी/अंचल अमीन/अंचल नाजीर/अंचल निरीक्षक से जांच कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन की मांग करें।

अभिलेख दिनांक 28/05/2018 को उपस्थापित करें।

03/05/2018
अंचल अधिकारी,
कोडरमा

28-05-2018 अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व कर्मचारी/अंचल अमीन/अंचल नाजीर/अंचल निरीक्षक से विहित प्रपत्र में जांच प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। जांचोपरांत राजस्व कर्मचारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, "मौजा— असना, थाना नं0— 245 के चालू पंजी II के पृष्ट सं0 71/VI पर खाता सं0— 39/127, रकबा— 0.34 ए0, माल— 4.00 रू0 भूमि, दुखन मियां के नाम से जमाबंदी दर्ज था। उक्त पंजी में पृष्ट सं0 71/VI क्षतिग्रस्त हो गया है। इसलिए जमाबंदी स्पष्ट नहीं होता है। उक्त भूमि रैयती खाते की है। अमीन द्वारा मापी के उपरांत जमाबंदी कायम करने की कार्रवाई की जा सकती है।"

मापी के उपरांत अंचल अमीन के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, "मौजा— असना, थाना नं0— 245, खाता सं0— 39/127, रकबा— 0.34 ए0 जमीन पर आवेदकगण सकीना खातुन, पति— स्व0 नईम मियां वो अब्दुल जलील, पिता— स्व0 नबी मियां के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र सं0— 1893 दिनांक 07.05.2018 के अनुसार स्थल पर जाकर नक्शा से मिलान किया। जाँच के दौरान पाया कि आवेदकगणों के दादा वो दादा ससुर दुखन मियां के नाम से बजरिये हुकुमनामा द्वारा उक्त खाता अन्तर्गत प्लॉट नं0— 1274, रकबा— 0.34 ए0 जमीन हासिल है, जिस पर दोनों फरिकन गणों के दो किता अलग—अलग मकान एवं बंटवारा कर अलग—अलग पूरब तरफ बारी, कुआँ स्थित है, जो आवेदकगणों के शांतिपूर्वक दखल—कब्जे में है।" अंचल अमीन के द्वारा अग्रतर कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गई है।

अंचल नाजीर के द्वारा आवेदक के आवेदन में संलग्न सरकारी लगान रसीद का नजारत में उपलब्ध रसीद भंडार पंजी से मिलान कर प्रतिवेदित किया गया है, "रसीद सं0— 0007402 लगान भंडार पंजी में दर्ज पाया गया।"

[illegible] के द्वारा [illegible] हल्का कर्मचारी, अंचल अमीन से विहित प्रपत्र में प्राप्त प्रतिवेदन [illegible] के आलोक में अग्रसारित किया गया है।

[illegible] भूमि से संबंधित मूल [illegible] कागजातों की मांग [illegible] की जाय करें।

अभिलेख दिनांक [illegible] 2018 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
कोडरमा

[illegible] अभिलेख उपस्थापित।

[illegible] प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। [illegible] के द्वारा कोई [illegible] नहीं की गई।

[illegible] दिनांक [illegible] 2018 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
कोडरमा

27-07-2018 अभिलेख उपस्थापित।

[illegible] अन्य [illegible] कार्य में व्यस्त हैं। अभिलेख दिनांक 02/08/2018 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
कोडरमा

02-08-18 अभिलेख उपस्थापित।

वर्तमान अंचल निरीक्षक से स्पष्ट [illegible] प्राप्त करें। अभिलेख दिनांक 08/08/2018 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
कोडरमा

08-08-2018 अभिलेख उपस्थापित।

वर्तमान अंचल निरीक्षक से विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख में संलग्न है। इनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, "हल्का कर्मचारी, अंचल अमीन एवं पूर्व अंचल निरीक्षक की अनुशंसा के आधार पर जमाबंदी कायम करने की अनुशंसा की जाती है। उक्त भूमि रैयती खाते की है।"

राजस्व कर्मचारी/अंचल अमीन/अंचल नाजीर/अंचल निरीक्षक के द्वारा जाँच के उपरान्त विहित प्रपत्र में समर्पित जांच-प्रतिवेदन तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत राजस्व कागजातों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त भूमि, मौजा– असना, थाना नं0– 245 अन्तर्गत खाता सं0– 39/127, प्लॉट नं0– 1274, रकबा– 0.34 ए0 भूमि, रैयती खाते की भूमि है, जिसकी जमाबंदी पंजी II के पृष्ठ सं0– 71/VI पर दुखन मियां, पिता– समन मियां के नाम से चल रही थी। उक्त जमाबंदी पंजी II के पृष्ठ सं0– 71/VI क्षतिग्रस्त हो चुका है।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत राजस्व कागजातों एवं राजस्व कर्मचारी/अंचल अमीन/अंचल निरीक्षक/अंचल नाजीर के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर ऑनलाइन पंजी II में मौजा– असना, थाना नं0– 245 अन्तर्गत खाता सं0– 39/127, प्लॉट नं0– 1274, रकबा– 0.34 ए0 भूमि [illegible] की जमाबंदी दुखन मियां, पिता– समन मियां, साकिन– असनाबाद, थाना– तिलैया, [illegible], जिला–कोडरमा के नाम से करने का आदेश निर्गत किया जाता है।

अभिलेख में कार्रवाई ........ की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी,
कोडरमा

Scanned with CamScanner